

सर्कल ऑफिस, सीओएसएएम, आर ब्लॉक, पटना- 800001 | ई-मेल: coptnsamd@pnb.bank.in

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-निलामी बिक्री सूचना।

सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / बंधक है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक /सांकेतिक कब्जा पंजाब नैशनल बैंक (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे उल्लेखित उधारकर्ता (ओं) एवं जमानतदार (ओं) से **पंजाब नैशनल बैंक** (सुरक्षित लेनदार) की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित सम्पत्तियों को “जैसा है जहाँ है” “जैसा है जो है” एवं “वहाँ जो कुछ भी है” के आधार पर निम्नलिखित तालिका में दिए तिथि एवं समय पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन राशि भी नीचे तालिका में संपत्ति के सामने वर्णित है।

ई-नीलामी की तिथि दिनांक 12.10.2026 (ईएमडी जमा करने की अंतिम:- दिनांक 11.10.2026 को शाम 5:00 बजे तक)

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें

6. ई-नीलामी में भाग लेने के दृष्टिकोण प्रतिभागी ई-नीलामी पोर्टल (<http://baanknet.com>) से हम ई-नीलामी से संबंधित बिबकी सचना ई-नीलामी के नियम व शर्तें ई-नीलामी के मंचालन संबंधी

सहायता पुस्तिका की प्रतियां निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

8. ई-नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को अंतिम बोली के अतिरिक्त परस्पर बोली में उच्चतर बोली लगाने की अनुमति होगी और बोली राशि में वृद्धि उल्लिखित वृद्धि राशि के बराबर होनी चाहिए। बोलीदाताओं को लगातार उच्चतर बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्चतर बोली नहीं लगाई जाती है, तो

इ-नीलामी बद कर दी जाएगी।

9. इच्छुक बोलीदाता(ओं) की यह ज़िम्मेदारी है कि वे विक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम व शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें

10. ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के मामले में, बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। जिसका विवरण बैंकनेट पोर्टल पर उपलब्ध है।

11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल पते/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)

12. सुरक्षित परिसंपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।

तारीख से 15 दिनों के भीतर बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट/एनआईएफटी/आरटीआईएस के रूप में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाएगा, जो प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, एनआईएफटी/आरटीआईएस के रूप में www.pnb.co.in पर PNBRTI@pnb.co.in या PNBRTI@pnb.co.in के माध्यम से भेजा जाएगा।

(विद्यार्थी-एनएफए / SARFESI) / नीलामी से संबंधित खाता संख्या - 1556203171118A), (IFSC Code PUNB0155620) को अपने बैंक में देय होगा। निधारित संस्थान को भौतरे उपरान्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक में जब कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी / बिक्री आयोजित करने की स्वतंत्रता होगी।

14. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री मूल्य का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1ए के अंतर्गत टीडीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि का शेष 75% बोली

15. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न पाई जाएं, या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को

16. अधिनियम को प्रावधानों के अनसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

18. उपरोक्त अनुच्छेदों में निर्दिष्ट समक्षित परिमर्णियों का विवरण पण्डितक अधिकारी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार दिया गया है लेकिन पण्डितक अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि गलत कथन

10. दोरी लगाने से पहले दोनों सिंहरों को धीरे-धीरे बांधकर खड़ा कर देंगे। बाँधने के बाद दोनों सिंहे को बाँधने वाले की ओर घुमाएंगे और दोनों सिंहे को एक-दूसरे की ओर झुकाने का आदेश देंगे। दोनों सिंहे को झुकाने के बाद दोनों सिंहे को बाँधने वाले की ओर घुमाएंगे और दोनों सिंहे को बाँधने वाले की ओर झुकाने का आदेश देंगे।

19. बाँला लोगन से पहल संपात आर विनदशा का निरीक्षण करना आर उनसे संतुष्ट होना बाँलादाताओं का जिम्मेदारी होगी। बाँलादाता, दिए गए विवरण के अनुसार, संभावित अधिकारों का परामर्श से संपात का निरीक्षण करेगा।

21. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक, बैंक को ज्ञात न होने वाली संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य को किसी भी शुल्क, प्रहणधिकार, ऋणभार या किसी अन्य बकाया के लिए

22. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैकअप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले किसी भी

23. बैंक एक प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है, स्वयं बोली लगा सकता है और नीलामी में भाग ले सकता है।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> और www.pnbindia.in

दिनांक: 01.09.2026 नोट: विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: पटना